भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3017

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर और पवन ऊर्जा को बढावा देना</u>

3017. श्री छोटेलालः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने देश में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। कार्यशील योजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम, जैव ऊर्जा (बायो एनर्जी) कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

अनुलग्नक

'सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील योजनाओं का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के अंतर्गत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बजत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में ट्रांसमिशन एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के अपतट पर 500 मेगावाट) की स्थापना और चालू करने के लिए तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना।
7. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) बसाहटों/गांवों के लिए), जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है, में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है।

*****